न्यायालय सहायक कलक्टर दीगोद जिला कोटा (राज0)

मि0नं0	तारीख दायरा	तारीख फैसला
208 / 2025	24.12.2025	27.02.2026

पीठासीन अधिकारी–दीपक महावर (आर.ए.एस.)

उनवान

1 महावीर सुमन आत्मज हरिप्रकाश उस वर्ष जाति माली निवासी सुल्तानपुर तहसील दीगोद जिला कोटा राज0

–वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

– प्रतिवादी

वादीगण की और से :– श्री रघुवीर सिंह एडवोकेट
प्रतिवादीगण की और से :–

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89 आर.टी.एक्ट वास्ते राजस्व रिकार्ड में नाम दुरूस्ती

–: निर्णय :–

वादी ने उपरोक्त शीर्षक का वाद पत्र निम्न रूपेण पेश किया है :–

यह कि ग्राम सुल्तानपुर तहसील दीगोद जिला कोटा में वादी के पिता के शामलाती खाते में खाता स0 126 नया 113 पुराना की खसरा न0 387 रकबा 1.16 है0 ख0नं0 1122 रकबा 0.63 20 ख0नं0 1123 रकबा 0.27 है0 ख0नं0 1124 रकबा 0.35 ख0नं0 2166 रकबा 1. 50 कुल 5 किता की 3.90 है0 भूमि स्थित चली आ रही है जिसमें वादी के पिता का नाम हीरालाल दर्ज है जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 संलग्न है यह की उक्त आराजी ने वादी के पिता का नाम हीरालाल दर्ज कर दिया गया है जबकि वादी के पिता का समरत दस्तावेजों में वादी के पिता का नाम हरिप्रकाश है। जिससे वादी को नामान्तरण दर्ज करवाने ओर सरकारी योजनाओं में किसान क्रेडीड कार्ड आदि लेने में परेशानी आ रही है जिसे दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। यह कि उक्त वादी के पिता का नाम आधार कार्ड पहचान पत्र राशन कार्ड, पेन कार्ड, बैंक डायरी मृत्यु प्रमाण पत्र आदि में वादी के पिता का नाम हरिप्रकाश है। वादी को दस्तावेजो के आधार पर अपने पिता का नाम दुरस्त करवा कर नाम राजस्व रिकॉर्ड में लिखवाने का कानूनन अधिकार है इसलिए वादी के पिता का नाम दुरुस्त किया जाना आवश्यक है। यह कि प्रतिवादी के कर्मचारियो द्वारा ग्राम सुल्तानपुर की भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता का नाम हरिप्रकाश के स्थान पर हीरालाल दर्ज कर दिया है उपरोक्त कारण से राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता का नाम हीरालाल दर्ज किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जाना आवश्यक है।

सहायक कलक्टर
दीगोद, जिला कोटा (राज.)

अतः वाद पेश कर निवेदन है कि वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के खिलाफ निम्न आशय की आज्ञा व डिक्री पारित की जावें– कि ग्राम सुल्तानपूर तहसील दीगोद जिला कोटा मे वादी के पिता के शामलाती खाते में खता सं0 126 नया 113 पुराना की खसरा नं0 387 रकबा 1.16 है0, ख0नं0 1122 रकबा 0.63 है0, ख0नं0 1123 रकबा 0.27 है0, ख0नं0 1124 रकबा 0.35 है0, ख0नं0 2166 रकबा 1.50 है0 कुल 5 किता की 3.90 है0 भूमि स्थित चली आ रही हैं। जिसमे वादी के पिता का नाम हीरालाल वर्ज है। वादी के पिता का नाम हीरालाल के स्थान पर हरिप्रकाश दर्ज किये जाने व राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किये जाने का आज्ञा व डिक्की पारित की जाये।

वादीगण की ओर से निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किये जो संलग्न हैः–

1– नकल जमाबन्दी सन् 2071–2074 वाके ग्राम सुल्तानपुर

2– नकल मृत्यु प्रमाण पत्र हरिप्रकाश 01.03.2020

6– नकल आधार कार्ड

7– नकल पासबुक

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलवी विधिवत करवायी गयी। प्रतिवादी तहसीलदार दीगोद की और से जवाब सरकार प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। तहसीलदार दीगोद ने अपने जवाब में वादी के पिता के नाम हीरालाल के स्थान पर हरिप्रकाश दर्ज किये जाने की अनुशंषा की गयी है।

पत्रावली बहस पर नियत की गई। बहस उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की सुनी गयी। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र को डिक्री करने पर कोई आपत्ति नही की है। वादी साक्ष्य में वादी अधिवक्ता ने साक्ष्य शपथ–पत्र PW-1 अमीत कुमार आत्मज जगन्नाथ का पेश किया। जो शामिल फाईल किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात में आद्योपान्त अवलोकन, अध्ययन एवं मनन करने से हम निष्कर्ष पर पहुंचे है कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद में प्रतिवादीगण की सहमति पूर्वक होने से वाद पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम सुल्तानपूर तहसील दीगोद जिला कोटा मे वादी के पिता के शामलाती खाते में खता सं0 126 नया 113 पुराना की खसरा नं0 387 रकबा 1.16 है0, ख0नं0 1122 रकबा 0.63 है0, ख0नं0 1123 रकबा 0.27 है0, ख0नं0 1124 रकबा 0.35 है0, ख0नं0 2166 रकबा 1.50 है0 कुल 5 किता की 3.90 है0 भूमि में वादी के पिता के नाम हीरालाल के स्थान पर हीरालाल उर्फ हरिप्रकाश किये जाने व राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते है। तद्नुसार डिक्री जारी हो। पत्रावली में अन्य कोई कार्यवाही शेष नही रहने पर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 27.02.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
दीगोद

मूल वाद में अन्तिम डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर दीगोद जिला कोटा (राज0)

पीठासीन अधिकारी–दीपक महावर (आर.ए.एस.)

उनवान

1 महावीर सुमन आत्मज हरिप्रकाश उस वर्ष जाति माली निवासी सुल्तानपुर तहसील दीगोद जिला कोटा राज0

–वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा – प्रतिवादी

वादीगण की और से :– श्री रघुवीर सिंह एडवोकेट
प्रतिवादीगण की और से :–

<u>वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 89 आर.टी.एक्ट</u>
<u>मिसल नं 208/2025</u>

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी वादी व मिनजानिब मुददई पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि – वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम धनवां तहसील दीगोद की खसरा नं0 22/622 रकबा 0.24 है0 खसरा नं0 474 रकबा 1.55 है0 कुल 2 किता रकबा 1.79 है0 भूमि का खातेदार मृतक मथुरालाल का नाम डिलीट किया जाकर वादी व प्रतिवादी नं0 2 ता 5 को खातेदार घोषित किया जाता है। शेष यथावत रहेगा। मुताबिक निर्णय राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। तद्नुसार डिक्री जारी की जाती है।

मेरे दस्तख्त व मोहर से आज दिनांक 27.02.2026 को जारी किया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुदई	रूपये	पैसे	मुदालयह	रूप्ये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
स्टाम्प वजूह सबूत	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
महन्ताना वकील	0	0	महन्ताना वकील	0	0
खर्चा गवाहान	0	0	खर्चा गवाहान	0	0
बबत इजराय हुक्मनामा	0	0	बबत इजराय हुक्मनामा	0	0
मुत0	0	0	मुत0	0	0
मिलान	0	0	मिलान	0	0

सहायक कलक्टर
दीगोद